फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

वादी–रोडू | प्रतिवादी– हनुमान सिंह व अन्य

केस संख्या : 264 / 2013 **वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा**

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील वादी उप0। दिनांक 09.01.2014 को प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व बावजूद प्रॉपर तामील अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है। प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब बंद किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 फोर्मल पक्षकार है जिनके विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। पक्षकारान का सुना गया। वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी खसरा नंबर 9/10 रकबा 3 बीघा ग्राम धुवालिया, तहसील फागी, जिला जयपुर का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी वादी की आराजी खसरा नंबर 9/10 रकबा 3 बीघा पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिससे सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक होने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादी वादग्रस्त आराजीयात का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। पक्षकारान के मध्य विवाद ना बढे इस कारण न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे खसरा नंबर 9/10 रकबा 3 बीघा ग्राम धुवालिया, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी, एवं कब्जा, ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 31-5-2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट [illegible] में सुनाया गया। (सावन कुमार चायल) उपखण्ड अधिकारी फागी	

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला-जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

रोडू

बनाम

हनुमानसिंह व अन्य

::– वाद स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 264 / 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी गिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे खसरा नंबर 9/10 रकबा 3 बीघा ग्राम धुवालिया, तहसील फागी, जिला जयपुर की अराजीयात में वादी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी, एवं कब्जा, ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे।

निज.................मुबलिग..बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह..फीसदी...........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक................का अदा करे।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31-5-2017 को जारी की गई।

दस्तखत...............

ओहदा उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	Nil		बबत इजराय हुक्मनामा	Nil	
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)